

कार्यालय अधीक्षक (भू-अभिलेख) , जिला दमोह

क्रमांक 729/भू.अभि./स.अ.भू. अ-2/2024
प्रति,

दमोह दिनांक 18/03/2024

तहसीलदार,
तहसील - समस्त
जिला दमोह, म. प्र.

विषय :- कोटवारों के सेवामुक्त होने पर एक लाख की राशि देने के संबंध में।

संदर्भ :- म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक /F-REV13/0002/2023/सात-4 भोपाल/05/10/2023।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित (संलग्न) पत्र अनुसार लेख है कि म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कोटवार के सेवानिवृत्त होने पर उसे एक लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। किन्तु पद त्याग करने अथवा सेवा समाप्ति किए जाने क स्थिति में उक्त राशि देय नहीं होगी। इसका व्ययभार मांग संख्या 8 शीर्ष 2053 जिला प्रशासन/094 अन्य स्थापना/441 आदेशिका वाहक मांग संख्या-12-मजदूरी आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति मंत्री परिषद निर्णय आयटम क्रमांक 58 दिनांक 04/10/2023 के अनुक्रम मे दी गयी है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के नियमों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ० क्रमांक 737/भू.अभि./ स.अ.भू. अ-2/2024
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3:- उपायुक्त महोदय सागर संभाग सागर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4:- अनुविभागीय अधिकारी (रा) अनुभाग समस्त जिला दमोह की ओर सादर सूचनार्थ।

अधीक्षक
भू-अभिलेख दमोह
दमोह दिनांक 18/03/2024

अधीक्षक
भू-अभिलेख दमोह